न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्या:– 2025/220 राजस्व वाद दिनांक– 04.09.2025

अनवान

1. मोहनलाल डांगी पिता हकमा उपनाम हुक्मीचंद जी, जाति डांगी, आयु 47 वर्ष, निवासी–बिलोता, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. मांगीलाल डांगी पिता हकमा उपनाम हुक्मीचंद जी, जाति डांगी, आयु 60 वर्ष, निवासी–बिलोता, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

..... वादीगण

बनाम

1. गिरिराज शर्मा पिता चन्द्र कुमार जी, जाति शर्मा, आयु वयस्क, निवासी–उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. अक्षत डागलिया पिता रमेश जी डागलिया, जाति जैन, आयु 25 वर्ष, निवासी–49, डागलिया हाउस, शास्त्री मार्ग, अशोक नगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. मैसर्स रामा नेचर वर्क्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर भैरूलाल सिंघवी पिता शांतिलाल सिंघवी, जाति जैन, निवासी –168 रोड नबंर 11, अशोक नगर, उदयपुर, जिला उदयपुर।

..... प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

उपस्थित:– श्री राजेन्द्र टांक, अधिवक्ता (वादीगण)।

श्री खयालीलाल नागदा, (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3)

–: आदेश :–

दिनांक:–04.09.2025

प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसका इस आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने उक्त वाद एवं टीआई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वाद की कलम संख्या 01 के परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि के संबंध में आप न्यायालय में वाद पेश किया है जिसके आराजी नबंर 575/246 रकबा 0.5817 हैक्टेयर रकबा किस्म औघोगिक प्रयोजनार्थ के संबंध में भी वाद आप न्यायालय में पेश किया परन्तु उक्त आराजीयात् के संबंध में आप न्यायालय को वाद श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं होकर सिविल न्यायालय का होने से उक्त वाद काबिले खारिज योग्य है। उपरोक्त वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद के अनुबंध के संबंध में भी वाद पेश किया है जबकि अनुबंध के संबंध में भी वाद सुनने का क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है जिससे भी उक्त वाद आप न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। उपरोक्त वाद आप न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं होने से उपरोक्त वाद काबिले खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधी बहस चाही गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद के कलम संख्या 01 के परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि, कृषि भूमि न होकर, औद्योगिक भूमि है जिसके संबंध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है साथ ही निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमियों के वर्तमान खातेदार वादीगण नहीं होकर हुकमा पिता उदा जी डांगी है एवं वादीगण द्वारा अनुबंध को लेकर वाद में वर्णित तथ्यों को उठाया गया है जबकि अनुबंध के संबंध में भी वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार आन न्यायालय को नहीं होकर, सिविल न्यायालय को है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जाए। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध किया एवं निवेदन किया कि उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को ही प्राप्त है अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया तो वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जमांबदी के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर आया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की कलम संख्या 01 के परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि, कृषि भूमि न होकर रूपान्तरित औघोगिक भूमि है। वर्तमान मामले में खसरा संख्या 575/246 औघोगिक परियोजन हेतु नियमानुसार परिवर्तित करवाई गई है जिसके संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। लिहाजा वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष के परपस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में वाद पत्र का नामंजूर किया जाना निम्नलिखित दशाओं में होता है:–

1. जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है।
2. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने में न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहां दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है।
6. जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र का निस्तारण केवल मात्र वादपत्र के अभिवचनों एवं वादपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया जाना होता है। इस संदर्भ में निम्न माननीय विनिर्णयों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया:–

माननीय विनिर्णय राजस्थान हाईकोर्ट बेन्च जयपुर, **Kanhaiya Lal@Kana&Ors. V/S Ganesh Narayan&Ors.** निर्णय दिनांक 08.05.2023 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 7, नियम 11– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 207–घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद–पोषणीयता–कृषि–भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरित कर दिया गया – जहाँ प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि नहीं रह गई है तथा इसलिए सिविल न्यायालय में दावा पोषणीय है।

उपरोक्त माननीय विनिर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र के अभिवचनों का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात् वर्तमान में कृषि भूमि नहीं होकर रूपान्तरित औद्योगिक भूमि है।

आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का दायरा अत्यन्त सीमीत है और वाद पत्र में लिखित अभिकथनों से दावा विधि से वर्जित प्रतीत होने पर ही न्यायालय द्वारा वाद को प्रारंभिक स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 07 नियम 11 सी पी सी की कलम संख्या 04 जहां वाद के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द

वर्जित है प्रतीत होने से वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

परिणामतः प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद बावत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा राजस्व ग्राम शिकारवाडी, पटवार हल्का बिलोता, तहसील देलवाडा के वादग्रस्त आराजीयात् खसरा संख्या 576/246, 575/246 के संबंध में अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो/नम्बर से कम हो/दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, RAS)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

(Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति रक्षा पारिक,R.A.S.

प्रकरण संख्याः– 2025/220 राजस्व वाद

अनवान

1. मोहनलाल डांगी पिता हकमा उपनाम हुक्मीचंद जी, जाति डांगी, आयु 47 वर्ष, निवासी–बिलोता, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. मांगीलाल डांगी पिता हकमा उपनाम हुक्मीचंद जी, जाति डांगी, आयु 60 वर्ष, निवासी–बिलोता, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

..... वादीगण

बनाम

1. गिरिराज शर्मा पिता चन्द्र कुमार जी, जाति शर्मा, आयु वयस्क, निवासी–उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. अक्षत डागलिया पिता रमेश जी डागलिया, जाति जैन, आयु 25 वर्ष, निवासी–49, डागलिया हाउस, शास्त्री मार्ग, अशोक नगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. मैसर्स रामा नेचर वर्क्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर भैरूलाल सिंघवी पिता शांतिलाल सिंघवी, जाति जैन, निवासी –168 रोड नबंर 11, अशोक नगर, उदयपुर, जिला उदयपुर।

..... प्रतिवादीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

उपस्थितः– श्री गजेन्द्र टांक, अधिवक्ता (वादीगण)।

श्री ख्यालीलाल नागदा, (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादीया मय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र टांक एड. मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता श्री ख्यालीलाल नागदा मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:–

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा राजस्व ग्राम शिकारवाडी, पटवार हल्का बिलोता, तहसील देलवाडा के वादग्रस्त आराजीयात् खसरा संख्या 576/246, 575/246 के संबंध में अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। नीज... ..–..... मुबलिज –.....–..... बाबत् –.....–... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर –.....–.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक –....–... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.09.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, RAS)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

नाथद्वारा

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीनामा		स्टाम्प वकालत-नामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत् इजराय हुक्मनामा	
बबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिलान		मिलान	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, RAS)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द